संख्या:24/2017/1625 /सत्रह-म-2017-6-9(333)/2016 टी0सी0

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 07 सितम्बर ,2017

विषय ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवास उपयोजना हेतु वर्ष 2016-17 की पुनर्वैध धनराशि से वर्ष 2017-18 में मछुआ आवासों का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या -443 /नि0शा0, दिनांक 08-08-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवास उपयोजना हेतु वर्ष 2016-17 की पुनर्वैध धनराशि से वर्ष 2017-18 में 33 जनपदों में 666 मछुआ आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु रू0 799.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल अनुमोदित धनराशि रू0 1760.85 लाख में 666 मछुआ आवास निर्माण हेतु रू0 399.60 लाख मात्राकृत किया गया था, जिसका उपभोग वर्ष 2016-17 में मछुआ आवास उपयोजनान्तर्गत नहीं किया जा सका था। उक्त अप्रयुक्त धनराशि को भारत सरकार द्वारा पत्रांक-जे0-18001/1/2017-एफ0वाई0, दिनांक 15-05-2017 के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए पुनर्वैध कर दिया गया है । वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में मानक मद- 2405-मछली पालन -800- अन्य व्यय -06- मछुआ आवास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में धनराशि रू0 799.20 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-1245/दस-2017-12(2)/2017 दिनांक 22 अगस्त, 2017 द्वारा खोले गये नये मानक मद -"02- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज "ब्लू रिवोल्यूशन " -0201- राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अन्तर्गत मछुआ आवास -35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" में प्रश्नगत धनराशि रू0 799.20 लाख का पुनर्विनियोग कर दिया गया है।शासन के आदेश संख्या- 18/2017/1128/सत्रह-म-2017-6-9(333)/2016 दिनांक 07-07-2017 द्वारा रू0 1.20 लाख प्रति मछुआ आवास (केन्द्रांश 50 प्रतिशत तथा राज्यांश 50 प्रतिशत) की दर निर्धारित की गयी है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- मछुआ आवास निर्माण से आच्छादित होने वाले सम्बंधित जनपदों के चयन हेतु मा0 मंत्री मत्स्य विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 33 जनपदों का चयन करते हुए उक्त जनपदों में 666 मछुआ आवासों के लक्ष्य का निर्धारण किया जा चुका है ।

4- इस सम्बंध में संयुक्त निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार प्रति मछुआ आवास की लागत धनराशि रू0 1.20 लाख की दर से 33 जनपदो में 666 मछुआ आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत मछुआ आवास निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 799.20 लाख (सात करोड नियान्नबे लाख बीस हजार मात्र) जिसमें केन्द्रांश धनराशि रू0 399.60 लाख तथा मैंचिग राज्यांश धनराशि रू0 399.60 लाख सम्मिलित है, की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दि0 30-06-2016 एवं तदनुक्रम में शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/ 2016 दिनांक 24 दिसम्बर,2016, सपठित शासनादेश संख्या-18/2017/1128/सत्रह-म-2017-6-9(333) /2016 दिनांक 07-07-2017 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश /गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत 06- मछुआ आवास योजना -35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में आवंटित धनराशि रू0 799.20 लाख का अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज " ब्लू रिवोल्यूशन" -0201- राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अन्तर्गत मछुआ आवास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" में प्रश्नगत योजना हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार पुनर्विनियोग इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि जिस बचत की मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है,उस मद में प्रशासकीय विभाग द्वारा धनाराशि की मांग नही की जायेगी ।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनिन्शयल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो,उन मामलों में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(4) धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0 /डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त् विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ –साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(9) स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है ।

(10) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94, दिनांक 06 जून, 1994द्वारा निर्गत् निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री के सम्बंध में सामग्री/ उपकरण क्रय विषयक संगत शासनदेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

3- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-17 के अधीन'' लेखाशीर्षक -2405 मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन-इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'' ब्लू रिवोल्यूशन''-0201-राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अन्तर्गत मछुआ आवास-35-पूंजीगत परिसम्मपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान '' के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2017/ बी0-1-02/दस -2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी,2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या -3 /2017/ बी0-1- 348 /दस - 2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या -8 /2017/बी0-1-1190 /दस - 2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग के पुनर्विनियोग के संलग्न आदेश संख्या-आर0ई0-035/ई-2/यू0ओ0 603/ दस-2017 दिनांक 30 अगस्त 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

<u>संलग्नक- यथोक्त।</u>

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या 24/2017/1625 (1)/ सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद (बी0एम0-9 की एक प्रति) ।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद(बी0एम0-9 की एक प्रति) ।

3 -संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

5- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

7 - सम्बधित कोषाधिकारी उ0प्र0।

8- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 (बी0एम0-9 दो प्रतियों में)/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 24/2017/1625/सत्रह-म-2017-6-9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक, 07 सितम्बर 2017 का संलग्नक-

वर्ष 2016-17 की केन्द्रांश की धनराशि रू0 399.60 लाख (वर्ष 2017-18 हेतु पुनर्वैध) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 399.60 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 799.20 लाख से 666 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु निर्धारित जनपदवार वित्तीय स्वीकृति -

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार लक्ष्य	वित्तीय स्वीकृति (रू0लाख में)		
			राज्यांश	केन्द्रांश	योग
1	फिरोजाबाद	26	15.60	15.60	31.20
2	आगरा	20	12.00	12.00	24.00
	आगरा मण्डल	46	27.60	27.60	55.20
3	हाथरस	20	12.00	12.00	24.00
	अलीगढ मण्डल	20	12.00	12.00	24.00
4	इलाहाबाद	20	12.00	12.00	24.00
5	प्रतापगढ	20	12.00	12.00	24.00
	इलाहाबाद मण्डल	40	24.00	24.00	48.00
6	इटावा	20	12.00	12.00	24.00
7	फर्रूखाबाद	20	12.00	12.00	24.00
	कानपुर मण्डल	40	24.00	24.00	48.00
8	गोरखपुर	20	12.00	12.00	24.00
9	महराजगंज	20	12.00	12.00	24.00
10	देवरिया	20	12.00	12.00	24.00
11	कुशीनगर	20	12.00	12.00	24.00
	गोरखपुर मण्डल	80	48.00	48.00	96.00
12	जालौन	20	12.00	12.00	24.00
	झांसी मण्डल	20	12.00	12.00	24.00
13	बहराइच	20	12.00	12.00	24.00
	देवीपाटन मण्डल	20	12.00	12.00	24.00
14	फैजाबाद	20	12.00	12.00	24.00
15	अम्बेडकर नगर	20	12.00	12.00	24.00
16	सुल्तानपुर	20	12.00	12.00	24.00
17	बाराबंकी	20	12.00	12.00	24.00
	फैजाबाद मण्डल	80	48.00	48.00	96.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	बरेली	20	12.00	12.00	24.00
19	बदायूँ	20	12.00	12.00	24.00
20	शाहजहॉपुर	20	12.00	12.00	24.00
21	पीलीभीत	20	12.00	12.00	24.00
	बरेली मण्डल	80	48.00	48.00	96.00
22	बस्ती	20	12.00	12.00	24.00
23	संतकबीरनगर	20	12.00	12.00	24.00
24	सिद्धार्थनगर	20	12.00	12.00	24.00
	बस्ती मण्डल	60	36.00	36.00	72.00
25	उन्नाव	20	12.00	12.00	24.00
26	रायबरेली	20	12.00	12.00	24.00
27	सीतापुर	20	12.00	12.00	24.00
28	लखीमपुर खीरी	20	12.00	12.00	24.00
	लखनऊ मण्डल	80	48.00	48.00	96.00
29	वाराणसी	20	12.00	12.00	24.00
30	चन्दौली	20	12.00	12.00	24.00
31	जौनपुर	20	12.00	12.00	24.00
	वाराणसी मण्डल	60	36.00	36.00	72.00
32	मिर्जापुर	20	12.00	12.00	24.00
33	संतरविदास नगर	20	12.00	12.00	24.00
	बिन्ध्याचल मण्डल	40	24.00	24.00	48.00
	योग	666	399.60	399.60	799.20

(रू0 सात करोड निन्यानबे लाख बीस हजार मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।